न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 86 / 2015
प्रविष्टि दिनांक 03.08.2015

1–रमेश पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
2–रामसहाय पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
3–हीरालाल पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
4–नाथूलाल पुत्र मोहरूराम जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
5–सीताराम पुत्र मोहरूराम जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–प्रभू पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
2–बद्री पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
3–राम कुंवार पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
4–रामकरण पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोक
5–रंगलाल पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
6–गुलाब बेवा भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
7–सणगारी पुत्री भवंरलाल पत्नि आनन्दीलाल निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला [illegible]

–रेस्पांडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 14.03.2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी प्रभू आदि बनाम रमेश आदि

उपस्थिति : (1) श्री शहाब अहमद,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री कमलेश कुमार चौहान,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 14.03.2015 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 139 / 1 रकबा 5 बीघा 7बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम दत्तवास पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान [illegible] प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पान्डेन्ट ने अपीलान्ट के विरुद्ध तहसीलदार निवाई के यहां धारा 183 (बी) का एक आवेदन पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम दतवास तहसील निवाई की भूमि रेस्पान्डेट की खातेदारी की भूमि है,जिसमें 2 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलान्ट का कब्जा है,जिसके तहत 183 (बी) का रेस्पोडेण्ट ने सक्षम न्यायालय मे आवेदन पेश किया है। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुए,परन्तु अपीलान्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करमे हुये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट का आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2015 को स्वीकार कर निर्णय मे अपीलान्ट को बेदखल करने,लगान का 50 गुना 94 रुपये की शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक सिद्धान्तो के विरुद्ध है। निर्णय में पटवारी हल्का की रिपोर्ट का जो अंकन है वह गलत है। मौके पर अपीलान्ट का 20 साल से अधिक समय से कुंआ खुदा हुआ है, उसका रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है,जिससे यह साबित होता है कि हल्का पटवारी ने मनमाने ढंग से गलत रिपोर्ट तैयार की है और ऐसी गलत रिपोर्ट पर न्यायालय को कोई विश्वास नहीं करना चाहिये था। रेस्पोडेण्ट को दिनाक 20.07.1971 को खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दत्तवास मे आवंटन हुई थी। आवटन के विरूद्व अपीलांट ने न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) का आवेदन किया था। वर्तमान मे भी उक्त वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहा विचाराधीन है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर 60 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्ट ने 20 वर्ष पूर्व गिरधारी पुत्र बलवन्त मीणा से उक्त भूमि पर कुआ खुदवाया था जिसम लगभग एक लाख रुपये खर्च हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निणय स्पीकिंग जजमन्ट की तारीफ में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की न तो साक्ष्य ली ना ही दस्तावेजात के आधार पर निर्णय लिया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्टस ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पाडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित ज[illegible] लोगो [illegible] मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपी[illegible]स [illegible]स्पोडेण्टस की खातेदारी की भूमि पर फसल काश्त कर क[illegible] कर र[illegible]। अतः अपील अपीलाण्टस खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर, [illegible] अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2059-62 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दत्तवास तहसील निवाई मे आराजी खसरा 139/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि रेस्पोडेण्ट को दिनांक 20.07.1971 को खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दत्तवास मे आवंटन हुई थी। आवंटन के विरूद्व अपीलांट ने न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) का आवेदन किया था। वर्तमान मे भी उक्त वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है,परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है।

अपीलाट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा मे से 2 बिघा 10 बिस्वा वाके ग्राम दत्तवास पर गेहूँ,सरसो,चना व जौ की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स एंव रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्टस की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 14.03.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested